सबरीमाला प्रकरण में नौ जजों की संविधान पीठ ने की सुनवाई

भक्त के लिए संविधान ही आगे आएगा : पीठ

■ प्रभात कुमार

नई दिल्ली। सबरीमाला मंदिर से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए नौ जजों की संविधान पीठ में शामिल जस्टिस अहसानुद्दीन अमनुल्लाह ने मुख्य पुजारी से पूछा कि जब किसी भक्त को सिर्फ उसके जन्म, वंश के आधार पर देवता को छूने से रोका जाए, तो क्या तब संविधान दखल दे सकता है?

उन्होंने पूछा कि श्रद्धालु की सहायता के लिए कौन आगे आएगा, जिसे देवी-देवता को स्पर्श करने की अनुमति नहीं है। इस स्थिति में अदालत की क्या भूमिका होगी? इसके बार उन्होंने स्वयं इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि यह कार्य संविधान को ही करना होगा।

रीति-रिवाज की प्रकृति धर्म का एक अभिन्न अंग: सुनवाई के दौरान सबरीमाला मंदिर के मुख्य पुजारी वरिष्ठ अधिवक्ता वी. गिरि ने पीठ से कहा कि किसी भी मंदिर में होने वाले समारोह और रीति-रिवाज की प्रकृति धर्म का एक अभिन्न अंग है। इसलिए यह एक धार्मिक प्रथा है। ऐसी प्रथा को जारी रखना, जो कि एक जरूरी धार्मिक प्रथा है, पूजा के अधिकार का ही हिस्सा होगा। अधिवक्ता ने कहा कि अनुच्छेद- 25 के तहत पूजा का अधिकार केवल वही व्यक्ति मांग सकता है, जिसका उस देवता में विश्वास हो, जिसमें देवता की विशिष्ट विशेषताएं भी शामिल हों। कोई भी व्यक्ति जो मंदिर की मूर्ति में विश्वास रखता है और देवता को अपना ईश्वर मानता है, वह मंदिर की मूल विशेषताओं के विपरीत कोई कार्य नहीं करेगा, क्योंकि ऐसी प्रथा को उसके धर्म की प्रथा का हिस्सा नहीं माना जा सकता।

अधिवक्ता गिरी ने कहा कि अनुच्छेद 25(1) के तहत मेरा अधिकार जहां तक पूजा स्थल में प्रवेश का अधिकार शामिल है, उसे मंदिरों द्वारा की जाने वाली प्रथाओं- देवता की विशेषताओं के अनुरूप ही होना होगा।

'रचयिता और उसकी रचना के बीच फर्क नहीं'

अधिवक्ता गिरि के तर्क पर जस्टिस अमनुल्लाह ने सवाल किया कि जब मैं किसी मंदिर में जाता हूं, तो मेरा मूल विश्वास यह होता है कि वह भगवान हैं, वह मेरे रचयिता हैं। उन्होंने ही मुझे बनाया है। है ना? मैं वहां सौ फीसदी विश्वास के साथ जाता हूं और पूरी तरह समर्पित होता हूं। मेरे दिल में जरा भी अशुद्धि नहीं होती और वहां, मुझसे कहा जाता है कि विभिन्न वजहों से मुझे हमेशा के लिए देवता को छूने की इजाजत नहीं है।

'धार्मिक प्रथाएं पूरी तरह से न्यायिक समीक्षा से बाहर'

संविधान पीठ ने कहा कि यह बात स्वीकार करना मुश्किल है कि धार्मिक प्रथाएं पूरी तरह से न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर हैं। पीठ ने सवाल किया कि सामाजिक सुधार के नाम पर ऐसी प्रथाओं पर रोक लगाने वाले कानूनों की जांच और कौन करेगा? सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि 'हम धार्मिक मामलों में न्यायिक समीक्षा की सीमाओं से अवगत है और इसके लिए विस्तृत दलीलों की कोई आवश्यकता नहीं है।

केदारनाथ धाम पहुंची बाबा की डोली

चार धाम यात्रा

रुद्रप्रयाग, संवाददाता। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह डोली मंगलवार शाम ठीक साढ़े चार बजे केदारनाथ मंदिर परिसर में पहुंची। वहां पहले से मौजूद भक्तों ने हर-हर महादेव, जय बाबा केदार के जयघोष से पुष्प वर्षा के साथ डोली का स्वागत किया। इस बार सुरक्षा को लेकर पहले ही पुलिस और आईटीबीपी तैनात थी।

केदारनाथ के कपाट खुलने की प्रक्रिया के तहत ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से चली बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह डोली मंगलवार शाम केदारनाथ धाम पहुंची। डोली ने मंदिर की एक परिक्रमा की। भक्तों ने हर-हर महादेव के जयघोष से डोली का स्वागत किया। डोली पर पुष्प बरसाए गए। खुशनुमा मौसम के बीच डोली ने अपने धाम में प्रवेश किया।

भगवान तुंगनाथ मंदिर के कपाट आज खुलेंगे: तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ की चल उत्सव विग्रह डोली दूसरे पड़ाव में चोपता पहुंची। बुधवार को डोली तुंगनाथ पहुंचेगी। वहां पूजा-अर्चना और विधि-विधान से पूर्वाह्न 11 बजे मंदिर के कपाट भक्तों के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। मंगलवार सुबह भूतनाथ मंदिर से डोली ने चोपता के लिए प्रस्थान किया। इस दौरान रास्ते में भक्तों ने डोली का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया।

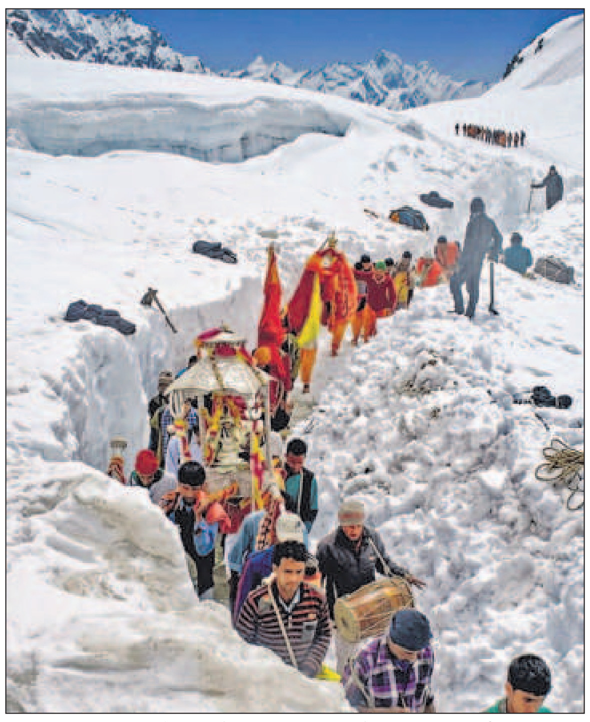

रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल मार्ग पर मंगलवार को बर्फ के ग्लेशियर के बीच से केदारनाथ धाम के लिए रवाना होती बाबा की डोली। ● हिन्दुस्तान

ज्योतिर्मठ से बदरीनाथ के लिए निकलीं देव डोलियां

ज्योतिर्मठ। मोक्षधाम श्री बदरीनाथ के कपाट 23 अप्रैल को प्रातः 6.15 पर खोले जाएंगे। मंगलवार को भगवान बदरीनाथ की शीतकालीन पूजास्थली नृसिंह बदरी मंदिर में पूजा अनुष्ठान के बाद देव डोलियां बदरीनाथ के लिए रवाना हो गई हैं। बीकेटीसी की अगुआई में जोशीमठ के हक-हकूकधारियों ने रावल अमरनाथ नंबूदरी और धर्माधिकारी स्वयंवर सेमवाल की मौजूदगी में प्रातः साढ़े नौ बजे नृसिंह मठांगन में पूजा अर्चना प्रारंभ की।

देश 30s

अल्लू अर्जुन के नाम के दुरुपयोग पर रोक

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बिना अनुमति अभिनेता अल्लू अर्जुन के नाम, तस्वीर, आवाज, शैली और अन्य विशिष्ट पहचान के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि अभिनेता की पहचान से जुड़े तत्व जैसे नाम, रूप-रंग, आवाज पर उनका विशेष अधिकार है।

यूसुफ पठान के ससुर समेत तीन गिरफ्तार

मुंबई। पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस सांसद यूसुफ पठान के ससुर खालिद खान समेत तीन लोगों को मुंबई में सड़क पर हुई झड़प के दौरान एक कार चालक पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया, घटना में पीड़ित कार चालक यूसुफ खान को चोटें आईं हैं। घटना शनिवार रात मझगांव के हीराबाई परिसर के पास हुई।

पर्निया के वीजा पर जल्द निर्णय लें : हाईकोर्ट

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मांस निर्यातक मोईन अख्तर कुरैशी की बेटी पर्निया के वीजा आवेदन पर प्राधिकारियों को शीघ्रता से कार्रवाई का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने कहा कि पर्निया कुरैशी वीजा के लिए आवेदन करेंगी और विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) को लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार उन्हें वीजा जारी करने का प्रयास करना होगा।

लॉरेंस ऑफ पंजाब वेब सीरीज पर रोक की मांग

चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर आधारित प्रस्तावित डॉक्यू-सीरीज लॉरेंस ऑफ पंजाब पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सीरीज गैंगस्टर संस्कृति को बढ़ावा दे सकती है और युवाओं पर नकारात्मक असर डाल सकती है। वड़िंग ने कहा कि वह इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करेंगे।

ईडी की छापेमारी में कुछ नहीं मिला : हारिस

बेंगलुरु। कर्नाटक कांग्रेस विधायक एनए हारिस के बेटे मोहम्मद हारिस ने मंगलवार को दावा किया कि ईडी की 21 घंटे की छापेमारी में कुछ भी बरामद नहीं हुआ। मोहम्मद हारिस ने कहा, मेरे दादा 89 वर्ष के हैं और उन पर कोई दाग नहीं है। मेरे पिता चार बार के विधायक हैं, उन पर भी कोई आरोप नहीं है।

जमीन के साथ ही सुरंगों में भी फर्राटा भरेंगी ट्रेन

सिलीगुड़ी रेल कॉरिडोर

■ अरविंद सिंह

नई दिल्ली। भारत ने पूर्वोत्तर की जीवन रेखा कहे जाने वाले सिलीगुड़ी रेल कॉरिडोर को अभेद्य किला बनाने की तैयारी पूरी कर ली है। देश में पहली बार एक ऐसी रेल परियोजना को धरातल पर उतारा जा रहा है, जहां ट्रेन न केवल सतह पर दौड़ेंगी बल्कि जमीन के 24 मीटर नीचे सुरंगों में भी फर्राटा भरेंगी। यह महज एक रेल प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि दुश्मन के बंकर-बस्टर बमों को मात देने वाला एक ऐसा रक्षा कवच है, जो युद्ध जैसी आपात समय में भी पूर्वोत्तर भारत से देश का संपर्क कभी टूटने नहीं देगा।

रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सिलीगुड़ी रेल कॉरिडोर टनल का अध्ययन पूरा हो गया है। पड़ोसी खतरे को ध्यान में रखते हुए यह भूमिगत रेलवे सुरंग महज बुनियादी ढांचा नहीं है, बल्कि भारत की दीर्घकालीन सुरक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगी। क्योंकि, पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे संवेदनशील और असुरक्षित क्षेत्र माना जाता है। मात्र 17 से 22 किलोमीटर चौड़ी यह संकरी पट्टी भारत के मुख्य भूभाग को पूर्वोत्तर के आठ राज्यों से जोड़ती है।

उन्होंने बताया कि लगभग 34 से 40 किलोमीटर लंबा रेल कॉरिडोर में 22 किलोमीटर हिस्सा पूरी तरह भूमिगत होगा। यह जमीन से 20 से 24 मीटर की गहराई पर होगा। इस गहराई में आधुनिक बंकर-बस्टर बम भी हमला नहीं कर सकेंगे। यह बम केवल 10 से 12 मीटर की गहराई तक ही वार कर सकते हैं।

यह मार्ग हवाई हमलों, मिसाइलों और तोपखाने के हमलों से सुरक्षित रहेगा। इसकी विशेषता यह होगी कि वर्तमान में यहां केवल दो रेल ट्रैक हैं।

सतह पर चार ट्रैक बनेंगे, जबकि इसके नीचे टनल में दो स्वतंत्र रेल ट्रैक होंगे। इससे युद्ध या आपदा की स्थिति में भी पूर्वोत्तर भारत से संपर्क नहीं टूटेगा। इस प्रकार टनल और इसके ऊपर सतह पर यात्री ट्रेन और मालगाड़ियों का परिचालन किया जाएगा। सामान्यतः रेल मार्ग में दो या चार ट्रैक होते हैं, लेकिन यहां सिक्स-ट्रैक सिस्टम होगा।

130 किमी की दूरी पर चीन की चुंबी वैली

सिलीगुड़ी क्षेत्र के उत्तर में केवल 130 किलोमीटर की दूरी पर चीन की चुंबी वैली है। चीन ने इस क्षेत्र में हवाई पट्टियां, बंकर और सैन्य ठिकाने बनाकर अपनी सैन्य क्षमता काफी बढ़ा ली है। चाय, लकड़ी, खनिज और कृषि उत्पादों का व्यापार इसी मार्ग पर निर्भर है।

22 किलोमीटर की पांच टनल बनाई जाएगी

इस परियोजना की कुल लंबाई 35.76 किलोमीटर है। रंगापानी और तिन माइल हाट के बीच लगभग 22 किलोमीटर की पांच टनल होगी। इनमें सबसे लंबी टनल 19.055 किलोमीटर की है। कुल अनुमानित लागत 11,623.49 करोड़ होगी। परियोजना पूरा करने की मियाद चार वर्ष होगी। मुख्य मार्ग रंगापानी-बागडोगरा है।

प्रेमिका ने प्रेमी के हाथ और पैर बांधकर जिंदा जला दिया

शर्मनाक

बेंगलुरु, एजेंसी। कर्नाटक में रविवार को मंगलवार को एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। 27 वर्षीय युवक की प्रेमिका ने कथित तौर पर आंखों पर पट्टी बांधकर और मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जलाकर हत्या कर दी।

पुलिस के अनुसार, आरोपी महिला को शक था कि उसका प्रेमी पिछले कुछ समय से उसे नजरअंदाज कर रहा है। युवक का पहचान तुमकुरु निवासी किरण के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी महिला प्रेमा ने किरण को प्रेम के बहाने बुलाया और उसके हाथ-पैर बांधकर आंखों पर पट्टी बांध दी। इसके बाद उसने किरण पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। वारदात के बाद घर से भारी धुआं निकलता देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस और दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई, लेकिन तब तक किरण पूरी तरह झुलस चुका था। पुलिस प्रेमा को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घटना के समय घर में केवल प्रेमा मौजूद थी, परिवार के बाकी सदस्य बाहर गए हुए थे। ब्यादराहल्ली पुलिस थाने में परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है।

कॉर्बेट में 10 वर्ष बाद पूरे दिन सफारी

रामनगर, संवाददाता। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में करीब दस साल बाद पर्यटकों को फिर से पूरे दिन जंगल सफारी का रोमांच मिलने वाला है। पार्क प्रशासन ने बिजरानी और झिरना जोन में फुल डे सफारी शुरू करने का निर्णय लिया है। इससे पर्यटन को नया बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

कॉर्बेट के दुर्गादेवी, गर्जिया, बिजरानी, ढेला और झिरना समेत करीब छह जोनों में अभी तक सुबह और दोपहर की सफारी कराई जाती है। सुबह साढ़े पांच बजे से एंट्री दी जाती है। जबकि दोपहर बाद तीन बजे दूसरी पाली शुरू होती है।

पार्क निदेशक डॉ. साकेत बडोला ने बताया कि टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन फॉर सीटीआर की बैठक फुल डे सफारी के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल चुकी है। बिजरानी व झिरना जोन में दो-दो जिप्सियों से पर्यटकों को पूरे दिन की सफारी कराई जाएगी। इसके लिए जिप्सियों को सुबह की पाली में ही प्रवेश दिया जाएगा। र्क प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं।

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम

परिवहन परिसर, फुलवारीशरीफ, पटना

दुरभाष संख्या–0612–2220666

सूचना

सूचित किया जाता है कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा प्रकाशित ई०–निविदा संख्या–03 दिनांक–19.03.2025 का प्रकाशन PR.No. 26903 (B&C)25-26 द्वारा किया गया था। जो अपरिहार्य कारणवश निरस्त किया जाता है।

प्रशासक

बि०रा०प०परि०नि०, पटना

PR- 001308 (B & C) 2026-27

विस्तृत सूचना www.state.bihar.gov.in/prdbihar पर भी देखी जा सकती है।

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार

दो वर्ष से कम अंतर पर दूसरा मातृत्व अवकाश मान्य: कोर्ट

लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि पहली मातृत्व अवकाश लेने के दो वर्ष के भीतर दूसरे मातृत्व अवकाश पर रोक नहीं लगाई जा सकती। कोर्ट ने कहा, इस विषय में वित्तीय हैंडबुक के प्रावधान मातृत्व लाभ कानून के ऊपर नहीं हो सकते।

यह आदेश न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की एकल पीठ ने मनीषा यादव की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में 4 अप्रैल 2026 को पारित उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके जरिए याची की दूसरी मातृत्व अवकाश की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। याची की ओर से अधिवक्ता चिन्मय मिश्रा ने दलील दी कि मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 एक लाभकारी कानून है और इसके प्रावधानों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

■ कहा, सरकार की फाइनेंशियल हैंड बुक मातृत्व लाभ कानून के ऊपर नहीं

विधानसभा में जदयू विधायक दल के नेता होंगे श्रवण कुमार

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। जदयू के वरिष्ठ नेता और नालंदा विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्रवण कुमार बिहार विधानसभा में जदयू विधायक दल के नेता बनाए गए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी विधायक दल के नेता के रूप में उनके नाम पर मुहर लगाई है। इसकी औपचारिक सूचना पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ प्रेम कुमार को भेजी थी।

विधानसभा की प्रभारी सचिव पूनम सिन्हा ने श्रवण कुमार को जदयू विधायक दल का नेता मनोनीत किये जाने की अधिसूचना मंगलवार को जारी की। श्रवण अबतक पिछले 31 साल से विधायक हैं और आठ बार चुनाव जीते हैं। जदयू विधायकों ने शनिवार की हुई बैठक में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को अधिकृत किया था।

'नीतीश कुमार के भरोसे को टूटने नहीं देंगे'

विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्रवण कुमार ने कहा कि हमारे

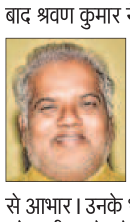

नेता नीतीश कुमार जी ने मुझपर जो भरोसा और विश्वास मुझपर किया है, उसके लिए उनका हृदय से आभार। उनके भरोसे और विश्वास को कभी टूटने और झुकने नहीं देंगे।

Public Health Engineering Department

Public Health Engineering Division, Dhamdaha

Govt. of Bihar

e-TENDER NOTICE

SHORT TENDER NIT No – 01/2026-27/DHM/WLS/O&M-PHED

National Competitive Bidding

(Through e-procurement mode on www.eproc2.bihar.gov.in)

1	Designation and Address of Advertiser	Executive Engineer, P. H. Division, **Dhamdaha**
2	Date of issue of Tender Notice	20-04-2026
3	Period of sale (downloading) of tender Bid Document	01-05-2026 to 15-05-2026 up to 15:00 Hrs. through www.eproc2.bihar.gov.in
4	Date, time & place of pre-bid meeting	04-05-2026 at 11.30 hrs. hrs in the Office of Executive Engineer of concerned P. H. Division
5	Last date and time of receipt (uploading) of tender	16-05-2026 up to 17:00Hrs on www.eproc2.bihar.gov.in
6	Date and time of opening of technical bid	16-05-2026 at 17:30Hrs on www.eproc2.bihar.gov.in
7	Date and time of opening of financial bid	To be informed later after the approval of technical bid.

8. Details of works:

Group No	Name of Work	Estimated Cost (in Lakh)	Amount of Earnest Money (in Lakh)	Cost of Tender Document (non-refundable) in Rs.	BSEDC Bid Processing Fee (in Rs.)	Completion Period (in months)
1	2	3	4	5	6	7
01	Comprehensive operation and maintenance and Special repair of 799 No. of wards level Piped Water Supply Schemes (Quality affected) in different Wards of different Panchayats in different Blocks under P.H Division, Dhamdaha , District-Purnea based on item rates; constructed by the Public Health Engineering Department including payment to the pump operators, electricity bill for five years.	8356.67	94.00	10000	5900	60
02	Comprehensive operation and maintenance and Special repair of 07 No. of Piped Water Supply Schemes (PWS/SWS) (Quality affected) in different Wards of different Panchayats in different Blocks under P.H Division, Dhamdaha, District-Purnea based on item rates; constructed by the Public Health Engineering Department including payment to the pump operators, electricity bill for five years.	376.61	1.00	10000	5900	60

For further details please visit : **www.state.bihar.gov.in/prdbihar**

PR- 001548 (PHED) 2026-27

Executive Engineer
Public Health Division, Dhamdaha

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।

HCL TECHNOLOGIES LIMITED

Corporate Identity Number : L74140DL1991PLC046369
Registered Office : 806, Siddharth, 96 Nehru Place, New Delhi, 110 019
Corporate Office : Plot No. 3A, Sector 126, Noida 201 304, U.P., India
Website: www.hcltech.com; Telephone: +91 11 26436336; Email: investors@hcltech.com

Extract of Consolidated Financial Results of HCL Technologies Limited as per Ind AS: (₹ in crores)

Particulars	Three months ended		Year ended	
	31 March 2026 (Audited)	31 March 2025 (Audited)	31 March 2026 (Audited)	31 March 2025 (Audited)
Total income from operations	33,981	30,246	1,30,144	1,17,055
Net profit for the period before tax, exceptional and/or extraordinary item	5,702	5,735	23,058	23,261
Net profit for the period before tax	5,702	5,735	22,102	23,261
Net profit for the period after tax (refer note 5)	4,490	4,309	16,652	17,399
Net profit for the period after tax and non-controlling interest	4,488	4,307	16,642	17,390
Total comprehensive income for the period (comprising profit for the period after tax and non-controlling interest and other comprehensive income after tax)	5,402	4,898	20,347	18,094
Equity share capital (par value ₹ 2 each)	543	543	543	543
Other equity attributable to owners of the Company#	74,622	69,112	74,622	69,112
Earnings per equity share (of ₹ 2 /- each) (for continuing and discontinued operations) (₹)				
Basic (in ₹)	16.59	15.90	61.46	64.16
Diluted (in ₹)	16.56	15.88	61.36	64.09

Balances for three months and year ended 31 March 2026, represent balances as per the audited consolidated balance sheet for the year ended 31 March 2026 and balances for three months and year ended 31 March 2025, represent balances as per the audited consolidated balance sheet for the year ended 31 March 2025, as required by Securities and Exchange Board of India {Listing Obligation and Disclosure Requirements} Regulations, 2015.

Extract of Standalone Financial Results of HCL Technologies Limited as per Ind AS: (₹ in crores)

Particulars	Three months ended		Year ended	
	31 March 2026 (Audited)	31 March 2025 (Audited)	31 March 2026 (Audited)	31 March 2025 (Audited)
Total income from operations	12,890	13,432	55,031	51,105
Net profit for the period before tax, exceptional and/or extraordinary item	3,925	4,077	16,705	16,474
Net profit for the period before tax	(1,808)	4,077	10,024	16,474
Net profit for the period after tax (refer note 5)	(900)	3,045	7,627	12,266
Total comprehensive income for the period (comprising profit for the period after tax and other comprehensive income after tax)	(2,022)	3,220	5,812	12,185
Equity share capital (par value ₹ 2 each)	543	543	543	543
Other equity#	25,355	34,397	25,355	34,397
Earnings per equity share (of ₹ 2 /- each) (for continuing and discontinued operations) (₹)				
Basic (in ₹)	(3.33)	11.24	28.17	45.25
Diluted (in ₹)	(3.33)	11.23	28.12	45.21

Balances for three months and year ended 31 March 2026, represent balances as per the audited standalone balance sheet for the year ended 31 March 2026 and balances for three months and year ended 31 March 2025, represent balances as per the audited standalone balance sheet for the year ended 31 March 2025, as required by Securities and Exchange Board of India {Listing Obligation and Disclosure Requirements} Regulations, 2015.

Notes :

1. The consolidated and the standalone financial results for the three months and year ended 31 March 2026 were reviewed by the Audit Committee and have been approved and taken on record by the Board of Directors at its meeting held on 21 April 2026. The statutory auditors have issued unmodified audit report on these results.
2. The Board of Directors at its meeting held on 21 April 2026 has declared an interim dividend of ₹ 24 per share.
3. One-time impact of New Labour Codes : Effective 21 November 2025, The Government of India has consolidated multiple existing labour legislations into a unified framework comprising four Labour Codes collectively referred to as the 'New Labour Codes'. Under Ind AS 19, changes to employee benefit plans arising from legislative amendments constitute a plan amendment, requiring recognition of past service cost immediately in the statement of profit and Loss. The New Labour Codes has resulted in estimated one time increase in provision for employee benefits of the Group and the Company of ₹ 956 crores and ₹ 948 crores (along with consequential tax benefit of ₹ 237 crores and ₹ 235 crores, resulting in decrease in profit after tax by ₹ 719 crores and ₹ 713 crores), respectively and the same has been recognized as an employee benefit expense (exceptional item) in the three months period ended 31 December 2025 and year ended 31 March 2026. The Government is in the process of notifying related rules to the New Labour Codes and impact of these will be evaluated and accounted for in accordance with applicable accounting standards in the period in which they are notified.
4. One-time impact of a material Bilateral Advance Pricing Agreement (BAPA) on Standalone financial results: During the current quarter, the Company concluded a Bilateral Advance Pricing Agreement (BAPA) with a tax authority in foreign jurisdiction covering certain prior financial years in relation to transaction with its wholly owned subsidiary. While the substantive terms and conditions have been mutually agreed, the Company is in the process of completing the formalization of the BAPA with the foreign jurisdiction.
   Consequent to above, the Company recognised an incremental impact of ₹ 6,436 crores during the quarter ended 31 March 2026, comprising ₹ 5,733 crores pertaining to periods up to 31 March 2025, as an exceptional item and ₹ 703 crores pertaining to the nine months ended 31 December 2025, as a reduction from revenue from operations, with a corresponding adjustment in the wholly owned subsidiary.
   The above expense has resulted in a tax benefit of ₹ 1,531 crores during the quarter ended 31 March 2026 which includes ₹ 1,317 crores for the period upto 31 March 2025 and ₹ 214 crores for the nine months ended 31 December 2025.
   Accordingly, the net impact has resulted in a decrease in profit after tax of ₹ 4,905 crores for the quarter ended 31 March 2026 which includes ₹ 4,416 crores for the period upto 31 March 2025 and ₹ 489 crores for the nine months ended 31 December 2025.
5. Profit (loss) for the period/year, excluding one-time impacts of New Labour Codes and material BAPA and related tax impact,
   a. For the Group is ₹ 17,371 crores for the year ended 31 March 2026.
   b. For the Company is ₹ 4,005 crores for the quarter ended 31 March 2026; and ₹ 12,756 crores for the year ended 31 March 2026.
6. Financial results for all the periods presented have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (as amended from time to time) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.
7. The figures of the last quarter are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year up to 31 March 2026 and the unaudited published year-to-date figures up to 31 December 2025 being the date of the end of the third quarter of the financial year which were subjected to a limited review.
8. The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of the quarterly financial results are available on the websites of the Stock Exchanges, www.nseindia.com, www.bseindia.com, and on the Company's website, www.hcltech.com, and these can also be accessed through the QR code given below.

By the order of the Board of Directors for HCL Technologies Limited

Roshni Nadar Malhotra
Chairperson
DIN - 02346621

C. Vijayakumar
Chief Executive Officer and Managing Director
DIN - 09244485

Shiv Walia
Chief Financial Officer

Noida (UP), India
21 April 2026

HCL